समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 06.04.2015 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 के निम्न मामले लंबित है। एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बहेड़ी से संबंधित है, अंचलाधिकारी, बहेड़ी के स्तर पर की गयी अद्यतन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है। इस मामले में संशोधित तथ्य विवरणी अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से प्राप्त हो गयी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 जगदीश पासवान बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह मामला ज0वि0प्र0 के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने से संबंधित है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को जिला चयन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने एवं जिला चयन समिति को उस पर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम इसकी जॉच कर ली जाय कि आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन अप्राप्त है तो आवेदक से आवेदन प्राप्त कर अविलंब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। एम0जे0सी0 चन्द्रभाष चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से तथ्य विवरणी प्राप्त नहीं हुई है। बिरौल प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से सम्पर्क कर शीध्र तथ्य विवरणी समर्पित करवाना सुनिश्चित करें। एम0जे0सी0 सत्यनारायण गुप्ता बनाम राज्य का मामला शिक्षक नियोजन से संबंधित है। इसकी तथ्य विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले द्वारा समर्पित की जानी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जाले प्रखंड अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। एम0जे0सी0 सुरेश दास वनाम राज्य का मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर से संबंधित है,जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना है। उन्हें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 रजनी महतो बनाम राज्य सरकार का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। वे इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4580, दिनांक 25.03.2015, जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की प्रकिया से संबंधित है, को पढ़कर सुनाया गया एवं इस पत्र में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ,स्थापना/जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा/जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी, दरभंगा

2.	महत्वपूर्ण सी0डब्लू0जे0सी0 में विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य की अगली सुनवाई 13.04.2015 को निर्धारित है। इस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को अलिवंब अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बिठौली/हावीडीह पैक्स से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोऑपरेटिव सोसाईटी के स्तर से जबाव दिया जाना लंबित है। इस वाद की अगली सुनवाई 27.04.2015 को निर्धारित है। जिला आपूर्ति पदाधिकरी/जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित कोऑपरेटिव सोसाईटी से अविलंब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। सी0डब्लू0जे0सी0 इन्द्रकान्त झा बनाम राज्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। यह मामला कुशेश्वरस्थान में तालाब बन्दोबस्ती का है। जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा को अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला भू–अतिक्रमण से संबंधित है। यह वाद अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा प्रखंड को इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा प्रखंड
3.	लोक सेवाओं का अधिकार की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हर माह में छापामारी का प्रतिवेदन किसी न किसी विभाग का अप्राप्त रहता है, जिसके कारण जिला की रैकिंग गिरती है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से छापामारी कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जितने भी कालबाधित मामले हैं, उसमें स्वतः अपील दाखिल करने का निदेश संबंधित अपीलीय पदाधिकारियों को दिया गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि सदर अनुमंडल में पेंशन से संबंधित कालबाधित आवेदन की संख्या सबसे अधिक है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को इन सभी मामलों में अपील दाखिल करवाते हुये निष्पादित करने का निदेश दिया गया। दण्ड की राशि की वसूली गत सप्ताह में शून्य रही है। यदि दण्ड अधिरोपित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा अपील दायर की गयी है तो उसकी सुनवाई कर निष्पादित करने और शेष मामलों में राशि की वसूली करने का निदेश दिया गया।	स्थापना उप समाहर्त्ता/प्रभारी जिला आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा/वाणिज्य कर पदाधिकारी/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
4.	वित्तीय वर्ष 2015–16 से शहरी क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का उपावंटन दरभंगा नगर निगम एवं नगर परिषद्, बेनीपुर को करने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को दिया गया। नगर आयुक्त, दरभंगा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेनीपुर को उपलब्ध कर्मियों/वार्ड पार्षदों/विकास मित्रों के सहयोग से पेंशन की राशि का वितरण करवाने का निदेश दिया गया।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा /नगर आयुक्त, दरभंगा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेनीपुर
5.	ई–किसान भवन, मनीगाछी का निर्माण कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 के द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण के क्रम में कुल प्राक्कलित राशि से 1.65 लाख रूपया लागत बढ़ रहा है। राशि उपलब्ध है, परन्तु विभाग का अनुमोदन आवश्यक है, जिसके लिये जिला कृषि पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी इस संबंध में विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक निदेश अविलंब प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा
6.	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर में विद्युत वायरिंग की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण बराबर शॉर्ट सर्किट होता रहता है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस आशय का प्रतिवेदन भेजा जाय ताकि उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता सूची में डालते हुये कार्यान्वित करवाया जा सके।	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
7.	वेन्डरवार आधार कार्ड तैयार किये जाने की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक मात्र 35–40 प्रतिशत ही कार्ड तैयार किया गया है। सभी वेण्डरों को लक्ष्य के अनुरूप किट लगवाने एवं कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यदि उनके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप किट नहीं लगाया जायेगा तो उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु यू0डी0ए0आई0 रॉची को प्रतिवेदित किया जायेगा।	उप विकास आयुक्त, दरभंगा/संबंधित वेण्डर।
8.	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एन0आई0सी0 हब के भवन तथा डाटा सेन्टर की स्थिति ठीक नहीं है, जिसे अविलंब ठीक करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा

9.	धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के कम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 22732.47 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति हुई है, जिसमें से एस0एफ0सी0 को 16927.79 एम0टी0 धान हस्तान्तरित किया जा चुका है। 3699.91 एम.टी. धान 17 राईस मिलों को दिये गये है तथा अवशेष धान 2104.89 एम0टी0 है। उन्हें धान का भौतिक सत्यापन दल गठित करते हुये करवाने का निदेश दिया गया। साथ ही पैक्स एवं व्यापार मंडल में यदि किसी एक किसान द्वारा 50 क्विंटल या उससे अधिक एवं राज्य खाद्य निगम के कय केन्द्र पर 150 क्विंटल या उससे अधिक धान दिया गया है तो उसके कागजात की जॉच करने का भी निदेश दिया गया। समीक्षा के कम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि कुल 450 लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 98 लॉट सी0एम0आर0 राईस मिलरों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जून 2015 तक ही उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जिसके अनुपात में प्रगति अत्यंत कम है। जिला प्रबंधक को इस सप्ताह में कम से कम 22 लॉट सी0एम0आर0 राईस मिलरों से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में राईस मिलरों या कय केन्द्र प्रभारियों पर बकाया राशि की वसूली के लिये दो दिनों में प्राथमिकी/निलाम पत्र वाद दाखिल करने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि अभी तक दायर निलाम पत्र वादों की सूची तैयार कर अविलंब समर्पित करें। खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के कम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2015 का लगभग 70 प्रतिशत उठाव हो चुका है एवं अप्रैल माह का वितरण भी प्रारंभ हो गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि अप्रैल माह का वितरण अप्रैल अंत तक ही सुनिश्चित करावें।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी
10.	जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि 8 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करना था, जिसमें से जोरजा को छोड़कर शेष हस्तान्तरित हो चुका है, जोरजा, अति0प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के खिड़की का शीशा एवं प्लास्टर कई जगहों से टूट जाने के कारण उसकी मरम्मति का निदेश कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–1 को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त मरम्मति कार्य कराकर अविलंब भवन का हस्तान्तरण स्वास्थ्य विभाग को करें। समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि उन्हें जिला अभियंता से राघोपुर एवं वाजितपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत कार्य का प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसका प्राक्कलन तैयार हो गया है। उन्हें शीध्र प्राक्कलन जिला अभियंता को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल द्वारा 4, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–1 के द्वारा 5, ग्रामीण कार्य विभाग, बेनीपुर के द्वारा 2 तथा भवन निर्माण विभाग के द्वारा 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत कार्य का प्राक्कलन तैयार करने का अनुरोध कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा से किया गया है। कार्यपालक अभियंता को अविलंब उपरोक्त प्राक्कलन तैयार कर संबंधित कार्य एजेन्सियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा संबंधित कार्य एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर राशि की मॉग जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा से करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से समन्वय करते हुये शीध्र राशि की विमुक्ति करना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्त्ता/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/संबंधित कार्यकारी एजेन्सी/विशेष कार्य पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक/संबंधित कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता
11.	बिहार शिक्षा परियोजना में असमायोजित अग्रिम की समीक्षा के कम में जिला कार्यकम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि सिविल मद में 82 करोड़ में से वर्त्तमान में 67 करोड़ रूपये का समायोजन शेष रह गया है। अन्य मदों में 90–99 प्रतिशत तक राशि का समायोजन हो चुका है। उन्हें निदेश दिया गया कि मदवार समायोजन का प्रतिवेदन तैयार कर प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में लाना सुनिश्चित करें ताकि इसकी समीक्षा की जा सके।	ज़िला कार्यकम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान

12.	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण मद का 2.19 करोड़ रूपये का डी0सी0 विपत्र कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, दरभंगा'–1 के यहॉ लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस संबंध में बताया गया कि उन्हें मात्र 5 विद्यालय भवन निर्माण की ही राशि प्राप्त हुई है, जिसका डी0सी0 विपत्र उन्हें इस सप्ताह में समर्पित करने का निदेश दिया गया। शेष राशि किस एजेन्सी को दिया गया, का पता लगाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, दरभंगा'–1
13.	निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के क्रम में डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाने के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में पाये गये डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या के अनुरूप बेवसाईट पर अपलोड नहीं किया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को शत् प्रतिशत डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम अपलोड करवाने का निदेश दिया गया एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र समर्पित करने का भी निदेश उन्हें दिया गया। कंट्रोल टेबुल में सुधार की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 78–कुशेश्वरस्थान, 79–गौड़ा बौराम में शत् प्रतिशत सुधार हो चुका है, लेकिन बी0एल0ओ0 द्वारा प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कुछ–कुछ मतदान केन्द्रों का सुधार बॉकी है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को कंट्रोल टेबुल में शत्प्रतिशत सुधार करवाते हुये संबंधित बी0एल0ओ0 से इस आशय का प्रमाण–पत्र तैयार करवा कर समर्पित करवाने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र के बी0एल0ओ0 की सूची, जो जिला के बेवसाईट पर अपलोड है, का मिलान कर प्रतिवेदन समर्पित करें। मतदान केन्द्रवार जागरूकता समूह बनाना है, जिसमें सरकारी कर्मी एवं मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के बी0एल0ए0 रहेंगे। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रवार उपरोक्त समूह का गठन करवाते हुये प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। दिनांक 12.04.2015 को हर मतदान केन्द्र पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें मतदाताओं का आधार नम्बर प्राप्त करना है। यदि निर्वाचक सूची अथवा मतदाता पहचान पत्र में कोई अशुद्धि है तो प्रपत्र–8 प्राप्त करते हुये उसे 15 दिन के अन्दर ठीक करवाना है। उपरोक्त शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने एवं शिविर का सफल आयोजन सुनिश्चित करवाने का निदेश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर राजनैतिक दलों की एक बैठक अविलंब आयोजित करवायी जाय। ई0वी0एम0 गोदाम निर्माण की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रथम तल के कॉलम की ढ़लाई हो रही है, उन्हें उपरोक्त भवन को मई 2015 के अंत तक पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया। सभी बी0एल0ओ0 को अपने क्षेत्र में घर–घर जाकर मतदाताओं का मोबाईल संख्या एवं आधार संख्या प्राप्त करना है, जिसके लिये प्रपत्र छप चुका है एवं इसे कल तक प्रखंडों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इस कार्य में यथाशीध्र सम्पन्न करवाने का निदेश दिया गया। सभी0 बी0एल0ओ0 का नेम प्लेट एवं आई0कार्ड बनाया जाना है, जिसके लिये बी0एल0ओ0वार सामान्य जानकारी एवं उनका मोबाईल नम्बर अतिशीध्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दिया गया।	सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / उप निर्वाचन पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
14.	विद्यालय जाने से वंचित बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिये 13 एवं 21 अप्रैल 2015 को विशेष अभियान चलाना है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि इस जिले में लगभग 23000 ऐसे बच्चे है, जो विद्यालय नहीं जाते है। उनके नामांकन के लिये अनुमंडल स्तर पर सी0आर0सी0 की बैठक की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि विकास मित्रों एवं अन्य सरकारी कर्मियों के संहयोग से अधिकाधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
15.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्री मैट्रिक छात्रवृति मद में 3.80 लाख का डी0सी0 विपत्र लंबित है, यह राशि जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वितरित करायी गयी थी। जिला कल्याण पदाधिकारी को अविलंब डी0सी0 विपत्र समर्पित करवाने का निदेश दिया गया।	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा

16.	वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रतिवेदन कई स्मारों से बावजूद सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधीक्षक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से अप्राप्त है। इन सभी पदाधिकारियों को इस सप्ताह में जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	संबंधित पदाधिकारी
17.	जिला स्तरीय संबंधित विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों हर माह में 5 तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी अचूक रूप से समर्पित करने का निदेश दिया गया।	संबंधित जिला स्तरीय विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी

ह०/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या.....1228...../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 06 अप्रील, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

39